

प्रेषक,

दिव्य प्रकाश गिरि,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 31 अक्टूबर, 2023

विषय:-शीरा वर्ष 2023-24 के लिए शीरा नीति के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

कृपया आगामी शीरा वर्ष 2023-24 के लिए सुझाव विषयक आपके पत्र संख्या: जी-28/दस-185/शीरा नीति/2023-24, दिनांक 29-09-2023, पत्र संख्या: जी-32/दस-185/शीरा नीति/2023-24, दिनांक 18-10-2023, तथा पत्र संख्या: जी-33/दस-185/शीरा नीति/2023-24, दिनांक 20-10-2023 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त शीरा वर्ष 2023-24 के लिए शीरा नीति प्रस्तर-5 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार निर्धारित की जाती है।

2. **उद्देश्य:-** प्रत्येक वर्ष के 01 नवम्बर से आगामी वर्ष के 31 अक्टूबर तक की अवधि को शीरा वर्ष कहा जाता है तथा उक्त अवधि के लिए प्रतिवर्ष शीरा नीति निर्धारित की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि शीरे के वार्षिक उत्पादन का इस प्रकार उचित प्रबन्धन किया जाए ताकि उससे सस्ती दरों पर देशी मदिरा का मानक के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही विभिन्न हितधारकों, अर्थात् -चीनी मिलों, मदिरा उत्पादनकर्ताओं व उपभोक्ताओं के समग्र हित सुनिश्चित रहें। इससे चीनी मिलों को उनके द्वारा उत्पादित शीरे में से सुनिश्चित मात्रा के विपणन के अवसर प्राप्त होते हैं और आसवनियों को मदिरा उत्पादन के लिए अधिकृत स्रोत से शीरे की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाती है। फलस्वरूप राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित होती है जो अन्ततः राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में सहायक सिद्ध होती है।

3. **प्रयोजन:-** उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों में उत्पादित शीरे का विभिन्न प्रकार के अल्कोहल यथा-रेक्टीफाइड स्पिरिट, ई.एन.ए., (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) ग्रीन फ्यूल एथनॉल, विशेष विकृत सुरा, मदिरा (देशी एवं विदेशी), एच.पी.एल.सी. (हाई परफार्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी) के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। शीरे से उत्पादित अल्कोहल का प्रयोग आसवनियों (पेय मदिरा निर्माणार्थ), पेट्रोलियम डिपो, फार्मेशियों, रासायनिक इकाईयों, विभिन्न चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, सुरक्षा संस्थानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। अतएव विभिन्न प्रकार के अल्कोहल के निर्माण एवं मांगकर्ता इकाईयों की संख्या बहुत अधिक

होती है, जिनकी मांग एवं आपूर्ति का संतुलन बनाये रखा जाना आवश्यक है। उक्त के अतिरिक्त शीरे से उत्पादित अल्कोहल की मांग अधिक होने के कारण शीरे के दुरुपयोग होने की सम्भावना तथा अवैध अल्कोहल निर्माण एवं बिक्री की सम्भावना बनी रहती है। इसलिए शासन की प्राथमिकता में शीरे के उपयोग के आधार पर राजस्व हित में शीरा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक हो जाता है। इस कारण से प्रदेश में स्थापित चीनी मिलों में उत्पादित शीरे को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।

4. उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (यथासंशोधित) की धारा-8 के अन्तर्गत शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रदेश की चीनी मिलों में उत्पादित होने वाले शीरे के विक्रय व आपूर्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से निर्देश दिये जाने का अधिकार है। इसी क्रम में शीरे के निस्तारण हेतु शीरा नीति द्वारा दिशा-निर्देश प्रदान किये जाते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में उत्पादित गन्ने की पेराई हेतु 158 चीनी मिलें स्थापित हैं। इन चीनी मिलों में से 28 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ की, 23 चीनी मिलें उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की, 03 चीनी मिलें भारत सरकार की एवं 104 चीनी मिलें निजी क्षेत्र की हैं। शीरा वर्ष 2022-23 में 41 चीनी मिलें बन्द तथा 117 चीनी मिलें कार्यरत रहीं हैं।

5. **शीरा वर्ष 2023-24 हेतु शीरा नीति:-**

5.1 **शीरा वर्ष 2023-24 में उपलब्ध शीरे की मात्रा पर आरक्षण एवं सम्भरण:-**

5.1.1 प्रत्येक चीनी मिल अथवा समूह द्वारा शीरा वर्ष 2023-24 में कुल वास्तविक शीरा उत्पादन (बी-हैवी + सी-हैवी को जोड़कर) के 19 प्रतिशत अंश को बी-हैवी के टर्म में आरक्षित शीरे के रूप में सम्भरित कराना होगा।

यदि कोई भी चीनी मिल अथवा समूह केवल बी-हैवी शीरे/सी-हैवी शीरे का अथवा बी-हैवी और सी-हैवी दोनों प्रकार के शीरे का उत्पादन करती है तो कुल शीरा उत्पादित मात्रा का (बी-हैवी + सी-हैवी को जोड़कर) 19 प्रतिशत बी-हैवी शीरे के टर्म में देशी मदिरा हेतु चीनी मिल अथवा चीनी मिल समूह द्वारा आपूर्ति की जायेगी।

यदि किसी कारणवश आवश्यक मात्रा में बी-हैवी शीरे का सम्भरण सम्भव नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित बी-हैवी आरक्षित शीरे की आपूर्ति उसके समतुल्य सी-हैवी शीरा अथवा ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) द्वारा करना होगा।

इस हेतु एक कुं. बी-हैवी शीरा 1.38 कुं. सी-हैवी शीरा के तथा एक कुं. सी-हैवी शीरा 0.73 कुं. बी-हैवी शीरा के समतुल्य माना जायेगा।

इसी प्रकार बी-हैवी शीरे से प्रति कुं. 31 ए.एल. अल्कोहल तथा सी-हैवी शीरे से प्रति कुं. 22.5 ए.एल. अल्कोहल रिकवरी के आधार पर आगणन किया जायेगा।

उदाहरणार्थ:-

क्र.सं.	श्रेणीवार उत्पादित शीरे की मात्रा (कुं. में)	कुल उत्पादित शीरे की मात्रा (कुं. में)	आरक्षित शीरे का आगणन(कुं. में)
केस 1	(1) बी-हैवी - 50 (2) सी-हैवी - 50	100	19 कुं. बी-हैवी शीरा अथवा

			19 कुं. बी-हैवी शीरे के समतुल्य सी-हैवी शीरा या समतुल्य ई.एन.ए.
केस 2	(1) बी-हैवी - 100 (2) सी-हैवी - 0	100	19 कुं. बी-हैवी शीरा अथवा 19 कुं. बी-हैवी शीरे के समतुल्य सी-हैवी शीरा या समतुल्य ई.एन.ए.
केस 3	(1) बी-हैवी - 0 (2) सी-हैवी - 100	100	19 कुं. बी-हैवी शीरा अथवा 19 कुं. बी-हैवी शीरे के समतुल्य सी-हैवी शीरा या समतुल्य ई.एन.ए.

5.1.2 सभी चीनी मिलें नीति के अनुसार आरक्षित शीरे की देयता के अनुरूप आरक्षित शीरे का निरन्तर एवं अनिवार्य रूप से सम्भरण सुनिश्चित करेंगी।

5.1.3(अ) देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियों को आरक्षित शीरे हेतु अपनी माँग गत माह की 7वीं तारीख तक प्रस्तुत करनी होगी। चीनी मिल द्वारा आसवनी की माँग पर 10वीं तिथि तक निर्णय लेना होगा तथा उनके द्वारा आवंटित आरक्षित शीरे का नियमित रूप से क्रय के 15 दिन के अन्दर उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) चीनी मिलें आरक्षित शीरे के विक्रय हेतु टेण्डर किये जाने वाले शीरे की मात्रा माह के प्रथम सप्ताह में घोषित करेंगी।

5.1.4 जिन चीनी मिल अथवा समूह की चीनी मिलों में शीरा वर्ष 2022-23 में प्रभावी शीरा नीति के अनुरूप आरक्षित शीरे का अवशेष स्टॉक उपलब्ध है, वे चीनी मिलें अथवा चीनी मिल समूह शीरा वर्ष 2023-24 में प्राथमिकता के आधार पर उक्तानुसार अवशेष आरक्षित शीरे का उठान कराना सुनिश्चित करेंगी।

5.1.5(अ) समूह की चीनी मिलें उपरोक्तानुसार देय आरक्षण प्रतिशत के अनुरूप आरक्षित शीरे की आपूर्ति समूह की एक या एकाधिक चीनी मिलों से कर सकेंगी परन्तु यदि इससे देशी शराब की आपूर्ति बाधित होगी, तो यह सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी।

(ब) पूर्वांचल जिसमें गोरखपुर, देवीपाटन, अयोध्या, आजमगढ़, वाराणसी, बस्ती तथा विन्ध्याचल मण्डल सम्मिलित है, में स्थित पेय आसवनियों द्वारा 25 से 30 प्रतिशत देशी शराब की आपूर्ति की जाती है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए पूर्वांचल की इन आसवनियों को समूह की चीनी मिलों द्वारा कम से कम पूर्वांचल स्थित एक चीनी मिल से आरक्षित शीरे की आपूर्ति करना अनिवार्य होगा।

5.1.6 शीरा वर्ष 2022-23 के अवशेष आरक्षित शीरे के समतुल्य मात्रा को बी-हैवी शीरे के टर्म में चीनी मिलों द्वारा देशी मदिरा की आसवनियों को ही विक्रय करते हुए अपनी इस अवशेष देयता को अनिवार्य रूप से माह जनवरी 2024 तक शून्य करना होगा।

5.1.7(अ) उपरोक्त आरक्षण की व्यवस्था इस शर्त के साथ निर्धारित की जाती है कि चीनी मिलों के चलने के उपरान्त यथास्थिति एवं यथावश्यकता, तत्समय शीरे की उपलब्धता एवं मदिरा की आवश्यकता के आधार पर यदि आरक्षण के प्रतिशत में किसी परिवर्तन (घटाने

अथवा बढ़ाने) की स्थिति उत्पन्न होती है तो शासन स्तर पर यथावश्यकता समस्त तथ्यों पर समग्रता से विचार करके निर्णय लिया जायेगा।

(ब) आरक्षण का प्रतिशत घटाने की स्थिति में पुनर्निर्धारित आरक्षित मात्रा से अधिक सम्भरित की गयी आरक्षित शीरे की मात्रा, मूल निर्धारित आरक्षित शीरे की सीमा तक आगामी शीरा वर्ष में आरक्षित शीरा की देयता में समायोजित की जायेगी।

(स) शीरा आवन्टी को शीरा सम्भरण हेतु आवंटन आदेश प्राप्त होने के उपरान्त 30 दिवस के भीतर शीरे का सम्भरण या उठान किया जाना अनिवार्य होगा।

(द) शीरा वर्ष 2022-23 में आरक्षित शीरे के सम्भरण हेतु पोर्टल से जारी होने वाली परमिट की वैधता शीरा वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर अर्थात् 31 अक्टूबर, 2023 को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

5.1.8 देशी मदिरा निर्मित करने वाली आसवनियाँ, तत्समय आसवनी में उपलब्ध आरक्षित शीरे के समायोजन के पश्चात ही आरक्षित शीरा आवंटन हेतु माँग पत्र प्रस्तुत करेंगी।

5.2 वर्ष 2022-23 के अवशेष आरक्षित शीरे की देयता को अग्रणीत किया जायेगा। पेराई सत्र के दौरान इसका अतिशीघ्र निस्तारण न होने पर इसकी गुणवत्ता में हास होना स्वाभाविक है। अतः प्रदेश स्थित चीनी मिलों में वर्ष 2022-23 की उपलब्ध आरक्षित शीरे की अवशेष देयता की अग्रणीत मात्रा को अनारक्षित अथवा स्वयं के उपभोग हेतु परिवर्तन करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जायेगी कि चीनी मिलें उक्त परिवर्तित मात्रा की भरपाई शीरा सत्र 2023-24 के उत्पादन से करेंगी तथा यह मात्रा शीरा नीति 2023-24 हेतु देय आरक्षित मात्रा के अतिरिक्त होगी। उक्त के अतिरिक्त यह भी प्रतिबन्ध है कि चीनी मिलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दिनांक 28.02.2024 को इस तिथि के सापेक्ष शीरा वर्ष 2023-24 हेतु आगणित आरक्षित शीरे की मात्रा के साथ-साथ गत वर्ष के अग्रणीत आरक्षित शीरे की देयता में से शीरा वर्ष 2023-24 में सम्भरित आरक्षित शीरे की मात्रा घटाते हुए अवशेष देयता के बराबर शीरे का स्टॉक चीनी मिलों के पास उपलब्ध रहे।

5.2.1 शीरा वर्ष 2023-24 में कुल शीरा उत्पादन का (बी-हैवी + सी-हैवी को जोड़कर) 19 प्रतिशत अंश को बी-हैवी शीरे के टर्म में आरक्षित किया जायेगा, तदनु रूप चीनी मिलों द्वारा आरक्षित व अनारक्षित शीरे के मध्य निकासी के अनुपात 1:4.26 का पालन करना अनिवार्य होगा।

5.2.2 प्रत्येक मासान्त पर चीनी मिल समूह को अपने कुल वार्षिक देय आरक्षित शीरे की मात्रा का कम से कम 8 प्रतिशत सम्भरण सुनिश्चित कराना होगा तथा प्रचलित शीरा वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में 25 प्रतिशत आरक्षित शीरा सम्भरण कराना बाध्यकारी होगा। उक्तानुसार आरक्षित शीरे का सम्भरण न कराये जाने पर शीरा नियंत्रक द्वारा अनारक्षित शीरे के सम्भरण पर आंशिक अथवा पूर्णतया रोक लगाया जा सकता है।

5.2.3 प्रत्येक चीनी मिल आगणित आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के विक्रय हेतु प्रत्येक माह की 7वीं तिथि तक ऑन लाइन शीरा पोर्टल पर टेण्डर अपलोड करेगी। इसकी सूचना पोर्टल

द्वारा स्वचालित ई-मेल के माध्यम से समस्त देशी मदिरा आसवनियों, शीरा अनुभाग, मुख्यालय तथा सम्बन्धित संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन, उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं जिला आबकारी अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

5.2.4 यदि मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा या मिश्रित या औद्योगिक आसवनी से देशी मदिरा निर्माण के लिए ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) प्राप्त करेंगी तो ऐसी ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) प्राप्तकर्ता इकाई को आपूर्ति की गयी ई.एन.ए.(एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) की मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा को स्वतः प्राप्तकर्ता इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में घट जाने तथा आपूर्तिक इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में समायोजित किये जाने का सहमति पत्र ई.एन.ए.(एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) क्रय करते समय देंगे। समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा, आपूर्तिक आसवनी को अथवा समूह द्वारा नामित समूह की अन्य आसवनी के लिए आरक्षित शीरे में समायोजित हो जायेगी तथा प्राप्तकर्ता इकाई के आरक्षित शीरे की मात्रा में से घट जायेगी।

5.3 अन्य राज्यों या राष्ट्रों को शीरे का निर्यात अथवा उनसे आयात:-

अन्य राज्यों या अन्य राष्ट्रों को शीरे के निर्यात अथवा उनसे आयात के सम्बन्ध में निर्णय हेतु शीरा नियंत्रक की अध्यक्षता में पूर्व में गठित निम्नलिखित समिति को यथावत रखा जाता है:-

शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त	अध्यक्ष
अपर आबकारी आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
शासन द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
गन्ना विभाग द्वारा नामित एक प्रतिनिधि	सदस्य
संयुक्त आबकारी आयुक्त (ई0आई0बी0)	सदस्य
उप आबकारी आयुक्त (उत्पादन)	सचिव-संयोजक

प्रदेश में शीरे की आवश्यकता के लिये पर्याप्त शीरा उपलब्ध होने पर ही शीरे के निर्यात की अनुमति दी जायेगी। निर्यात हेतु पूर्व की भाँति उत्तराखण्ड राज्य को वरीयता दी जायेगी। शीरा वर्ष 2023-24 में उत्तराखण्ड राज्य की शीरा अथवा अल्कोहल आधारित रासायनिक इकाईयों को 25 लाख कुन्तल शीरे के निर्यात की अनुमति दी जाती है।

शीरा नीति वर्ष 2023-24 में अन्य राज्यों से शीरा आयात करने से पूर्व आयातक को आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अन्य राष्ट्रों से शीरा आयात अथवा निर्यात करने हेतु शीरा आयातक अथवा निर्यातक को भारत सरकार द्वारा आयात अथवा निर्यात के सम्बन्ध में निर्धारित नीति एवं शर्तों का पालन करने के साथ आयात अथवा निर्यात की अनुमति आबकारी आयुक्त एवं शीरा नियंत्रक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्यातक रजिस्टर्ड एवं एक्सपोर्ट लाइसेंसधारक हो तथा विदेशी आयातक का अनुरोध उस देश के डिप्लोमेटिक चैनल से आया हो। देश के बाहर शीरा निर्यात किये जाने का निर्णय प्रदेश में शीरे की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा लिया जायेगा।

5.4 शीरे पर विनियामक शुल्क:-

शासनादेश संख्या-08/2022/2593ई-2/तेरह-2021-1496326, दिनांक 07.01.2022 के अन्तर्गत शीरा वर्ष 2021-22 में शीरे पर विनियामक शुल्क चीनी मिल द्वारा विक्रय या उसकी आपूर्ति या तो अपनी निजी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को किये जाने वाले समस्त प्रकार के शीरे पर रू. 20/- प्रति कुं. की दर से विनियामक शुल्क का भुगतान करेगी तथा प्रदेश में आयात किये जाने वाले शीरे पर आयातक उपरोक्त दर से विनियामक शुल्क का भुगतान करेगा, जिसे वर्ष 2023-24 में भी यथावत रखा जाता है।

5.5 शीरा निधि की धनराशि का अन्तर इकाई हस्तान्तरण:-

शीरा वर्ष 2023-24 में चीनी मिलों में जमा शीरा निधि की धनराशि शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप अवमुक्त किया जायेगा। यदि कोई चीनी मिल अपनी समूह की अन्य चीनी मिल अथवा चीनी मिलों के खाते में जमा शीरा निधि की धनराशि को उपयोग हेतु अवमुक्त कराना चाहती है (अन्तर इकाई हस्तान्तरण) तो इसके लिए अनिवार्य रूप से शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश से अनुमति प्राप्त की जायेगी

5.6 खाण्डसारी इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे पर नियंत्रण:-

1. समस्त खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ताओं द्वारा अपने इकाई में उत्पादित होने वाले शीरे की स्वतः घोषणा की जायेगी तथा इसकी सूचना आबकारी विभाग के निर्धारित पोर्टल पर समय-समय पर शीरा उत्पादन की प्रविष्टि करते हुए पोर्टल के माध्यम से सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। शीरे की स्वघोषणा गलत पाये जाने की स्थिति में आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जा सकती है।
2. प्रदेश में स्थित ऐसी खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयों से उपोत्पाद के रूप में प्राप्त शीरा, जिसका टी.आर.एस. 55 प्रतिशत या उससे कम होगा, उसे बी-हैवी शीरे के रूप में माना जायेगा तथा उस शीरे पर उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 (यथासंशोधित) के प्राविधान लागू होंगे।
3. यदि किन्हीं परिस्थितियों में शीरे का टी.आर.एस. 50 प्रतिशत से कम पाया जायेगा, तो उसके विक्रय तथा निस्तारण हेतु शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा पृथक से निर्णय लिया जायेगा।
4. समस्त खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाईयों द्वारा उत्पादित शीरे का विक्रय एवं सम्भरण आबकारी पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।
5. ऐसी खाण्डसारी चीनी विनिर्माण इकाई, जिनकी गन्ना पेराई क्षमता 1000 टन केन प्रतिदिन (टी.सी.डी.) या अधिक है, उन इकाईयों में उत्पादित होने वाले शीरे पर वर्ष 2023-24 की शीरा नीति के अन्तर्गत शीरे पर आरक्षण का प्राविधान लागू किया जायेगा।

6. समस्त खांडसारी चीनी विनिर्माण इकाई को आबकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक सम्भरण पर 20 रुपये प्रति कुं. की दर से विनियामक शुल्क जमा कराने के पश्चात् ही शीरे का सम्भरण किया जायेगा। यह प्राविधान समस्त खांडसारी विनिर्माण इकाई द्वारा उत्पादित समस्त शीरे पर लागू होगा।

5.7 शीरे के उठान पर नियंत्रण:-

प्रदेश की चीनी मिलों से सम्भरित कराये जाने वाले शीरे के उठान को नियंत्रित करने एवं सम्भरित शीरे का सही लेखा-जोखा रखने के उद्देश्य से शीरे का सम्भरण पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा तथा आसवनियों में शीरे की प्राप्ति तथा अल्कोहल का उत्पादन व निकासी तथा स्टॉक की समस्त सूचनाओं की व्यवस्था पोर्टल के माध्यम से पूर्व की भाँति लागू रहेगी। इस हेतु विभागीय ऑन लाइन पोर्टल पर किये जाने वाले आवेदनों में इकाई को जी.एस.टी.एन. का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

5.8 रूग्ण चीनी मिलों अथवा इकाईयों को छूट या रियायत दिये जाने के सम्बंध में:-

रूग्ण चीनी मिल को यदि कोई छूट प्रदान की जाती है तो छूट मिलने की तिथि से रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि तक उस चीनी मिल में उत्पादित अथवा उपलब्ध शीरे पर शीरे का आरक्षण लागू नहीं होगा परन्तु ऐसी चीनी मिलों को विनियामक शुल्क में किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जायेगी। इस व्यवस्था को शीरा वर्ष 2023-24 में इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि सम्बन्धित चीनी मिल रिहेबिलिटेशन पैकेज की अवधि स्पष्ट करेगी एवं उससे सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का प्रासंगिक आदेश उपलब्ध करायेगी। शासन द्वारा स्वीकृत व्यवस्था के अनुसार शीरा आरक्षण सम्बन्धी आवश्यक अनुमति, छूट या रियायत शीरा नियंत्रक के स्तर से प्रदान की जायेगी।

5.9 शीरे पर आधारित लघु इकाईयों जैसे यीस्ट, पशु आहार इत्यादि उत्पादक इकाईयों को शीरा आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में:-

प्रदेश में शीरे पर आधारित लघु इकाईयों को शीरे का आवंटन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम-1964 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था के अनुसार, शीरा नियंत्रक के स्तर से शीरा सत्र 2023-24 में किया जायेगा।

5.10 शीरा नीति में व्यावहारिक परिवर्तन अथवा परिमार्जन:-

शीरा नीति में व्यावहारिक कठिनाईयों को दूर करने के लिए परिवर्तन अथवा परिमार्जन के मामलों में अनुमति शासन द्वारा मा0 आबकारी मंत्री के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जायेगी।

5.11 केन जूस से ऐथनाल निर्माण किये जाने की दशा में आरक्षित शीरे का आगणन:-

यदि किसी चीनी मिल अथवा समूह द्वारा केन जूस से ऐथनाल का उत्पादन किया जाता है तो केन जूस के उत्पादन हेतु परे गये गन्ने के 6.20 प्रतिशत बी-हैवी शीरे की रिकवरी के आधार पर आगणित मात्रा पर 19 प्रतिशत की दर से आरक्षित बी-हैवी शीरा अथवा इसके समतुल्य सी-हैवी शीरा अथवा समतुल्य ई.एन.ए. देय होगा, जिसकी आपूर्ति केन जूस से

ऐथनाल उत्पादक चीनी मिल द्वारा स्वयं अथवा समूह की किसी अन्य चीनी मिल द्वारा की जायेगी।

5.12 केन जूस से ई.एन.ए. निर्माण किये जाने की दशा में आरक्षित शीरे का आगणन:-

सहोदर चीनी मिलें अपनी आसवनियों में केन जून से ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) का निर्माण कर देशी मदिरा आपूर्तक आसवनियों को विक्रय कर सकती हैं अथवा स्वयं देशी मदिरा का निर्माण कर सकती हैं। इस सम्बन्ध में आपूर्ति किये गये ई.एन.ए. (एक्सट्रा न्यूट्रल अल्कोहल) के समतुल्य आरक्षित शीरे की गणना निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

- (अ) गणनात्मक आरक्षित शीरे की मात्रा = पेरे गये गन्ने की मात्रा (कुं. में) × (6.20/100) × बी-हैवी शीरे का आरक्षण का प्रतिशत
- (ब) आपूर्ति किये जाने वाले ई.एन.ए. की मात्रा (ए.एल. में) = गणनात्मक आरक्षित शीरा (बिन्दु अ के अनुसार) × 31

5.13 बिलोग्रेड शीरे का निस्तारण:-

प्रदेश में स्थित चीनी मिलों अथवा आसवनी में संचित बिलोग्रेड शीरा के निस्तारण हेतु शीरा नीति 2021-22 में अनुमोदित व्यवस्था यथासंशोधित शासनादेश संख्या-51/2000/1359 ई-2/तेरह-2020-01/2020 दिनांक 16.06.2020, जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकृत ट्रेडरों एवं निर्यातकों को 500 कुन्तल तक बिलोग्रेड अथवा जला शीरा क्रय करने का प्रतिबन्ध समाप्त करते हुए, पंजीकृत ट्रेडरों हेतु शीरा के परिवहन एवं सदुपयोग को सुनिश्चित करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किये जाने की अनुमति भी प्रदान की गयी थी। आगामी शीरा वर्ष 2023-24 में पंजीकृत ट्रेडरों को शीरा आवंटित किये जाने की व्यवस्था को समाप्त करते हुए प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर की वास्तविक शीरा उपभोक्ता इकाईयों, जिनका शीरा उपभोग किये जाने हेतु सम्बन्धित राज्य के आबकारी विभाग में पंजीकरण हो, उन्हें एवं प्रदेश में स्थित पशुआहार इकाईयों को बिलोग्रेड शीरा आवंटित किये जाने की व्यवस्था की जाती है, किन्तु बिलोग्रेड शीरे के आवंटन में प्रदेश में स्थित कैटलफीड निर्माता इकाईयों को प्राथमिकता दी जायेगी तत्पश्चात प्रदेश के बाहर पशु आहार निर्माता इकाईयों तथा अन्त में अन्य वास्तविक शीरा उपभोग करने वाली इकाईयों को शीरा आवंटन किया जायेगा।

5.14 जले शीरे का निस्तारण:-

प्रदेश की चीनी मिलों अथवा आसवनियों में जले हुए शीरे के निस्तारण की व्यवस्था बिलोग्रेड शीरे की भाँति लागू होगी। जले हुए शीरे को, निर्धारित विनियामक शुल्क का 50 प्रतिशत जमा कर प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों के अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आसवनी में प्रयोग कर सकते हैं।

5.15 शीरा नीति की वैधता अवधि:-

शीरा नीति 2023-24 तब तक यथावत प्रभावी रहेगी, जब तक कि नई शीरा नीति की घोषणा नहीं कर दी जाती है।

5.16 शीरे का परिवहन:-

शीरे के सदुपयोग तथा राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु डिजी लॉक एवं जी.पी.एस. युक्त टैंकरों में ही शीरे का परिवहन किया जायेगा। यह व्यवस्था शीरा नीति वर्ष 2023-24 में भी यथावत लागू रहेगी।

5.17 शीरा आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की उपभोग क्षमता:-

शीरा नीति वर्ष 2022-23 में शीरा आधारित नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के परिप्रेक्ष्य में 1,00,000 कुन्टल प्रति वर्ष शीरा की मांग वाली इकाईयों के लिए निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ.प्र. को दिया गया है। यह व्यवस्था शीरा नीति वर्ष 2023-24 में भी यथावत लागू रहेगी।

5.18 चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करने हेतु उपबन्ध तथा अन्य बिन्दु:-

चीनी मिलों द्वारा शीरा संचित करते समय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा:-

- (1) चीनी मिलें यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके द्वारा संचित किया गया शीरा किसी भी तरह से लीक अथवा डिस्चार्ज होकर भूजल अथवा सतह जल में न मिले। साथ ही ऐसी व्यवस्था भी करेगी कि वायु प्रदूषण होने की सम्भावना न हो।
- (2) चीनी मिलों द्वारा कच्चे पिटों में शीरा संचय हेतु शीरा नियंत्रक एवं आबकारी आयुक्त, उ.प्र. से अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति अनिवार्यतः प्राप्त की जायेगी, किन्तु यह अनुमति सामान्त्यः नहीं प्रदान की जायेगी। केवल विशेष परिस्थितियों में ही संगत नियमों के अन्तर्गत शास्ति रोपण के साथ ही प्रदान की जायेगी।
- (3) कच्चे पिटों में संचित शीरे को मानसून सीजन से पहले अनिवार्य रूप से सम्भरित कर लिया जायेगा।
- (4) चीनी मिलों से प्रवाहित होने वाले द्रव्य पदार्थ की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा।
- (5) सभी चीनी मिलों द्वारा वॉटर (प्रिवेन्शन एण्ड कन्ट्रोल ऑफ पल्यूशन) एक्ट, 1974 में निहित प्रदूषण सम्बन्धी प्राविधानों तथा उपबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।
- (6) चीनी मिलों में बी-हैवी अथवा सी-हैवी शीरे के भण्डारण हेतु निर्धारित शीरा टैंकों के परिवर्तन किये जाने का प्रोसेसिंग शुल्क रू. 5000/- जमा करने के पश्चात् किया जायेगा।
- (7) शीरा नीति एवं शीरा आगणन के पर्यवेक्षण हेतु एक प्रोजेक्ट मानिट्रिंग यूनिट (पी.एम.यू.) की स्थापना की जायेगी। इसमें NICS1 द्वारा इम्पैनेल 02 कम्प्यूटर प्रोग्रामर रखे जायेंगे। इसके अतिरिक्त 02 कन्सल्टेन्ट आउट सॉसिंग पर सेवा प्रदाता के माध्यम से लिये जायेंगे। इसके लिए सरकारी विभागों से सेवानिवृत्त अनुभवी Professionals एकमुश्त मासिक मानदेय (जी.एस.टी. एवं समस्त शुल्क सहित) पर रखे जायेंगे। यह धनराशि अन्तिम

आहरित वेतन में से केवल शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) की धनराशि घटाने के बाद प्रति माह होगी। इनकी अर्हता, योग्यता एवं सेवा अवधि/विस्तार के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु प्रमुख सचिव, आबकारी को अधिकृत किया जाता है।

6. अतः कृपया उपरोक्तानुसार शीरा वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित शीरा नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं सर्वसंबंधित को आवश्यक निर्देश तत्काल निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय
23
31. 10.
(दिव्य प्रकाश गिरि)
विशेष सचिव